पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-09/2026- 3812 /वि०स०, दिनांक- 31-08-2026

प्रिय .....

अष्टादश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 20 जुलाई, 2026 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 24 जुलाई, 2026 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । तृतीय सत्र में कार्यक्रमानुसार कुल पाँच बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का हृदय की गहराईयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उल्लेख किया गया कि भारतीय लोकतंत्र का यह पवित्र सदन लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च मंच है, जहाँ जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं एवं समस्याओं का संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप समाधान खोजा जाता है। यह केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि जनभावनाओं, लोककल्याण और संविधान की आत्मा का सजीव प्रतीक है। यहाँ होने वाला प्रत्येक विचार-विमर्श करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है इसलिए यह सदन संवाद शालीनता, मर्यादा और उत्तरदायित्व का सर्वोच्च मंच है ।सबसे पहले, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने हाल ही में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गयाजी में आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया । उक्त कार्यक्रम में संसदीय प्रक्रिया, विधायी एवं बजटीय कार्य, समिति की कार्य प्रणाली, नेभा और भविष्य की संभावनाएं, सदस्यों के विशेषाधिकार एवं प्रोटोकॉल, संसदीय आचरण तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश एवं राज्य के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए । मुझे विश्वास है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव इस सदन की कार्यवाही को और अधिक सार्थक, अनुशासित तथा जनोन्मुख बनाने में सहायक होंगे।

ऋग्वेद का यह मंगल मंत्र "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" विशेष रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है कि सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार हमारे पास आएँ । लोकतंत्र की सफलता भी इसी भावना में निहित है कि मत अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र और समाज के हित का लक्ष्य एक होना चाहिए ।

उपनिषदों की प्रार्थना "असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥" आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कि हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए ।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।" अर्थात जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा धर्म है कि हम निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं- "परहित सरिस धरम नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई।" अर्थात जनप्रतिनिधि का धर्म भी यही है कि वह अपने निजी हितों से ऊपर उठकर जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखे।

महाभारत के शान्ति पर्व में राजधर्म का सार बताते हुए कहा गया है कि शासन का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा, न्याय और समृद्धि है । यही भावना भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है । भारत के महान संतों और मनीषियों ने सदैव लोकमंगल का संदेश दिया । स्वामी विवेकानंद ने कहा था- "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए ।" आज हमारा लक्ष्य एक समृद्ध, शिक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण है।

महात्मा गांधी ने कहा था- "आप वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं ।" यदि हम सदन में अनुशासन, शालीनता और सकारात्मक संवाद का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा ।

भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि "संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं होगा।" यह कथन हमें स्मरण कराता है कि संविधान की सफलता हमारे आचरण, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन पर निर्भर करती है ।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानते हुए कहा था- "राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके हित से बढ़कर कोई हित नहीं हो सकता।" यह भावना हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर बिहार और भारत के व्यापक हित में कार्य करें ।

बिहार की धरती ज्ञान, तप, त्याग और लोकतांत्रिक परंपराओं की भूमि रही है। भगवान बुद्ध ने यहीं करुणा का संदेश दिया है कि भगवान महावीर ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, चाणक्य ने सुशासन की अवधारणा विकसित की और नालंदा तथा विक्रमशिला ने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया ।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह "दिनकर" की पंक्तियाँ आज विशेष रूप से हम सबको प्रेरित करती हैं- "समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध: जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध ।" और उनकी एक अन्य प्रेरक पंक्ति- 'मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है ।" ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि दृढ़ संकल्प, अविश्रम और जनसेवा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है ।

मेरा विश्वास है कि इन कार्यक्रमों से माननीय सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ कर सकेंगे।

माननीय सदस्यगण, मानसून सत्र राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अनेक विधायी, वित्तीय एवं जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष आएँगे। मैं सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। स्वस्थ बहस, सार्थक विमर्श और रचनात्मक सहयोग ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति हैं। इसके माध्यम से ही यह सदन उच्च आदर्शों के अनुरूप नई कार्य-संस्कृति स्थापित कर पाएगी ।

यह सदन बहस का मंच है, संघर्ष का नहीं, तर्क का मंच है, कटुता का नहीं, समाधान का मंच है, टकराव का नहीं । जनता ने हम सबको अपने विश्वास का प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा है। हमारा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक आचरण लोकतंत्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इस पाँच दिवसीय सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधायी कार्य तथा विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में सक्रिय, तथ्यपूर्ण और रचनात्मक भागीदारी करें । बिहार के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के भविष्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन जैसे विषयों पर सार्थक विमर्श करें।

इसी प्रकार ऋग्वेद का एक और महान मंत्र है-"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।" अर्थात् हम साथ चलें, साथ विचार करें और हमारे मन एक उद्देश्य के लिए समर्पित हों ।

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि यह सत्र लोकतांत्रिक गरिमा, संसदीय परंपराओं, अनुशासन, संवैधानिक मूल्यों और जनहितकारी निर्णयों के लिए सदैव स्मरणीय बनेगा । इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ मैं बिहार विधानसभा के पाँच दिवसीय तृतीय सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सफल कार्यवाही के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ । धन्यवाद, भारत माता की जय! जय हिन्द! जय बिहार!

अनुमत विधेयक

माननीय राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026

माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2026
(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026
(3) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
(4) बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
(5) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026
(6) बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026
(7) बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026
(8) बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
(9) बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026
(10) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026
(11) बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026

वित्तीय कार्य

दिनांक 20 जुलाई, 2026 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया । दिनांक 23 जुलाई, 2026 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा यह स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गई ।
2. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखी गई ।
3. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2016-2017 से 2017-18 तक एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गई ।

4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा'' वर्ष 2017-18 से 2022-23 के ''निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल'' तथा वर्ष 2024-25 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदनों को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गई ।

5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा'' वर्ष 2017-18 से 2022-23 के ''निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल'' तथा वर्ष 2024-25 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

6. ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा-35(2) के अंतर्गत अधिसूचना सं०-5736799, दिनांक-09.06.26, अधिसूचना सं०-5818886, दिनांक-24.06.26; अधिसूचना सं०-5827307, दिनांक-25.06.26; अधिसूचना सं०-5827238, दिनांक-25.06.26; अधिसूचना सं०-5773433, दिनांक-16.06.26; अधिसूचना सं०-5846671, दिनांक-01.07.26; अधिसूचना सं०-5818887, दिनांक-24.06.26; अधिसूचना सं०-5841929, दिनांक-01.07.26 तथा संकल्प सं०-5736787 दिनांक-09.06.26; संकल्प सं०-5827214 दिनांक-25.06.26; संकल्प सं०-5846791 दिनांक-01.07.26 एवं संकल्प सं०-5846794 दिनांक-01.07.26 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गई ।

7. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 की धारा-25(2) के तहत ''बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026'' की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गई ।

8. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-28(3) के तहत ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2024'' एवं ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025'' की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

9. स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा-68(3)के तहत ''बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली, 2026'' एवं ''बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद (संशोधन) नियमावली, 2026'' की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

10. स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008, सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2013, सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2026 एवं सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

11. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-78(2) के तहत भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार का वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

12. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

13. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) के तहत "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026" की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

14. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2026 एवं बिहार तकनीकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गई ।

<u>विधायी कार्य</u>

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026
2. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
3. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026
4. बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026
5. बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026
6. बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
7. बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026
8. बिहार नगर विकास विधेयक, 2026
9. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
10. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) विधेयक, 2026
11. भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026
12. निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026
13. बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026
14. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026
15. बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026
16. बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026
17. बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
18. डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
19. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
20. शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
21. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026

<u>याचिका</u>

इस सत्र में कुल 119 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 106 स्वीकृत हुए तथा 13 अस्वीकृत हुआ ।

<u>निवेदन</u>

इस सत्र में कुल 193 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 186 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 07 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

<u>प्रश्न</u>

इस सत्र के दौरान कुल 1038 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 971 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 74 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें से 70 के उत्तर प्राप्त हुये, 721 तारांकित प्रश्न थे जिनमें से 697 के उत्तर प्राप्त हुये एवं 176 अतारांकित प्रश्न थे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 206 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 180 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 18 सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 105 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए तथा 100 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 65 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 07 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 28 सूचनाएँ सदन द्वारा समिति को सुपुर्द किया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय रामेश्वर पासवान, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय बागी कुमार वर्मा, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय माधव लाल सिंह, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०प०
5. स्वर्गीय अनवर अहमद, पूर्व स०वि०प०
6. स्वर्गीय अम्बिका सिंह, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय नागेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय हरि राम, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत माननीय राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपकी विश्वासी

27/08/26

(पूनम सिन्हा)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

.....

.....

.....